DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY BULLETIN PART-II

(General information relating to Legislative & other matters) Tuesday 20th May 2003/30 Vaishak, 1925 (Saka)

NO. 257

Subject: Reconsideration of the 'Delhi Sikh Gurdwaras (Amendment) Bill, 1998'

Hon'ble Members are hereby informed that "The Delhi Sikh Gurdwaras (Amendment) Bill, 1998", which had been passed by the previous assembly on the 30th September 1998 had been reserved for the consideration of the Hon'ble President of India by the Hon'ble Lieutenant Governor, Delhi.

The Bill has now been returned by the Hon'ble President for the reconsideration of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi under section 25 of the Government of the National Capital Territory of Delhi Act, 1991. The Hon'ble Lieutenant Governor has sent the following message dated 19th May 2003 in this regard:

"The President of India has considered the Delhi Sikh Gurdwaras (Amendment) Bill, 1998 and directed that the Bill be returned to the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi for suitably amending sub-section (5) of section 16 and sub-section (2) of section 19 of the Delhi Sikh Gurdwara Act, 1971 (82 of 1971) with a view to providing that during the intervening period of dissolution of the Executive Board, all powers shall be exercised and duties performed by such officer or authority as the Lieutenant Governor may appoint in that behalf.

The Bill is, therefore, returned for reconsideration of the Legislative Assembly of NCT of Delhi under the proviso to section 25 of the Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991 (No.1 of 1992) read with rule 157 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi, 1997.

-sd/-Vijai Kapoor Lt.Governor, Delhi."

SIDDHARATH RAO SECRETARY

दिल्ली विधान सभा समाचार भाग-2

(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी) मंगलवार,20 मई,2003/वैशाख 30,1925 (शक)

संख्या-257

विषय:- दिल्ली सिक्ख गुरुद्वारा (संशोधन) विधेयक, 1998 पर पुनर्विचार ।

माननीय सदस्यों को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि दिल्ली सिक्ख गुरुद्वारा (संशोधन) विधेयक,1998, जिसे पिछली विधान सभा द्वारा 30 सितम्बर,1998 को पारित किया गया था, उपराज्यपाल द्वारा भारत के माननीय राष्ट्रपति के विचारार्थ भेजा गया था।

विधेयक को अब माननीय राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम,1991 की धारा 25 के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली की विधान सभा को पुनर्विचार के लिये लौटा दिया गया है । माननीय उपराज्यपाल ने इस संबंध में 19 मई,2003 को निम्नलिखित संदेश भेजा है :-

"भारत के राष्ट्रपति ने दिल्ली सिक्ख गुरुद्वारा (संशोधन(विधेयक, 1998 पर विचार किया और दिल्ली सिक्ख गुरुद्वारा अधिनियम, 1971 (1971 का 82) की धारा (16) की उप धारा (5) और धारा (19) की उपधारा (2) में समुचित संशोधन करने के उददेश्य से राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली की विधान सभा को लौटाने का निर्देश दिया है, जिसमें यह प्रावधान अपेक्षित है कि कार्यकारी बोर्ड के भंग होने के दौरान सभी शक्तियां एवं कर्त्तव्य उस अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा वहन किये जाये जिसे उपराज्यपाल अपनी ओर से नियुक्त करें।

इसलिये विधेयक को राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम,1991(1991 की संख्या-1) की धारा 25 एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम,1997 के नियम 157 के लिये अन्तर्गत पठित राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली की विधान सभा को पुनर्विचार के भेजा जाता है।

> ह0/-विजय कपूर उपराज्यपाल,दिल्ली ।"

> > सिद्धार्थ राव सचिव